पत्रांक : 11/नि1–3/2011 (छाया)...1551

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक :

के०वी०एन०सिंह,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक : ...15|08| 2015

विषय : **अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के आलोक में पुस्तकालयाध्यक्षों के नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय पत्रांक–1062 दिनांक–18.10.2011, 1398 दिनांक–13.09.2013, 569 दिनांक–23.05.2014, 649 दिनांक–13.06.2014, 819 दिनांक–09.07.2014, 914 दिनांक–23.07.2014, 971 दिनांक–07.08.2014, 1216 दिनांक–24.09.2014, 260 दिनांक–16.02.2015, 216 दिनांक–18.02.2015, 534 दिनांक–27.03.2015 एवं 1309 दिनांक 30.06.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक– 1309 दिनांक 30.06.15 द्वारा वैसे नियोजन इकाई जिन्होंने निर्धारित तिथि को पुस्तकालयाध्यक्षों का नियोजन नहीं किया है उन्हें अंतिम रूप से नियोजन हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP में दिनांक 01.04.14 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में लगभग 06 वार कार्यक्रम निर्धारित कर नियोजन हेतु नियोजन इकाईयों को निदेशित किया गया। खेद के साथ कहना है कि कतिपय नियोजन इकाईयों में प्राप्त सूचनानुसार, यथा– नालंदा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, गया एवं मधुबनी आदि में पुस्तकालयाध्यक्ष का नियोजन नहीं किया गया है।

उपरोक्त जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को यह निदेशित किया गया था कि निर्धारित तिथि को नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हुए सुस्पष्ट प्रतिवेदन देंगे। निदेशानुसार नियोजन नहीं कराये जाने के संबंध में एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाय।

पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन हेतु वैसे नियोजन इकाई जिसमें पूर्व में निर्धारित तिथि को नियोजन नहीं किया गया है, मे निम्न निदेश के साथ नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :–

(i)	नियोजन इकाई द्वारा काउसिंलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना – नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत	22.08.2015
	जिला परिषद्	24.08.2015

1. जिला पदाधिकारी अपने दिशा–निदेश में उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न करायेंगे। साथ ही जिस नियोजन इकाई में नियोजन से संबंधित

F/ K.V.N.Singh 14.08.15

अभिलेख, दस्तावेज के अनुपलब्धता के कारण नियोजन की प्रक्रिया बाधित होने की स्थिति में दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को चिह्नित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ–साथ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

2. "अगर अभ्यर्थी उपस्थित रहता है, परन्तु अध्यक्ष अनुपस्थित रहते है अथवा नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं करते है, तब वैसी स्थिति में यह माना जाएगा कि नियुक्ति की स्वीकृत प्राप्त है एवं जिला परिषद् नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह एक सप्ताह के अन्दर नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगें अन्यथा उनके विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को अनुशंसा की जाएगी।"

3. राज्य स्तर से नियोजन से संबंधित तिथि निर्धारित करने का उद्देश्य यही है कि एक ही तिथि को राज्य में कॉउन्सिलिंग की प्रक्रिया सम्पन्न हो साथ ही सभी अभ्यर्थियों को सामान्य रूप से कॉउन्सिलिंग की जानकारी उपलब्ध हो जाये। अतः निर्धारित तिथि को कॉउन्सिलिंग करना अनिवार्य है। निदेशालय के पूर्वानुमति के बिना तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

4. अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन ईकाई का दायित्व है कि विभागीय निदेश एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में वैध डिग्री अर्हताधारी अभियथियों का नियोजन सुनिश्चित किया जाय। नियोजन के उपरान्त नियत वेतन के भुगतान पूर्व शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

5. नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है।

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यह सुनिश्चित करेगें की उपरोक्त निर्धारित तिथि को नियोजन ईकाई में नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य सचिव से संपर्क स्थापित कर उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु पहल करेगे। नियोजन न होने की स्थिति में सुस्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. नियोजन के संबंध में दिनांक–19.08.2015 को सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से विडियों कॉन्फ्रेसिंग द्वारा समीक्षात्मक की जायेगी। कृपया निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन समीक्षा बैठक के पूर्व अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल पर उपलब्ध कराया जाय।

क्रं.	नियोजन ईकाई का नाम	विज्ञापन हेतु प्रकाशित पद	विभागीय निदेशक के आलोक में पूर्व में संपन्न कॉउन्सिलिंग की तिथि	कुल नियोजित पुस्तकालयाध्यक्ष की संख्या

इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन,
ह0/- 14/8/15
(के0वी0एन0सिंह)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक– 11/नि1–3/2011 (छाया)...1551 पटना, दिनांक....14/08/2015

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 14/8/15
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

F/ K.V.N.Singh 14.08.15